



THE PLASTICS EXPORT  
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल  
( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**

( Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India )

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/944

11.03.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय सदस्यों,

**विषय: अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण निर्यात खेपों की वापसी के मामलों में निर्यात दस्तावेजों में संशोधन या रद्द करने के लिए शुल्क लगाना - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143ए - के संबंध में।**

यह सूचित किया जाता है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने दिनांक 10 मार्च 2026 को परिपत्र संख्या 10/2026-सीमा शुल्क जारी किया है, जिसमें अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण सीमा शुल्क क्षेत्र से निर्यात खेप वापस लेने की आवश्यकता होने पर निर्यात दस्तावेजों में संशोधन या रद्द करने के शुल्क में छूट देने का प्रावधान है।

मध्य पूर्व क्षेत्र में चल रहे संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और लॉजिस्टिक्स मार्गों में उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य का बंद होना भी शामिल है, सीबीआईसी ने स्पष्ट किया है कि जहां निर्यात दस्तावेजों (शिपिंग बिल और संबंधित दस्तावेजों सहित) में संशोधन या रद्द करना केवल ऐसी परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो जाता है, वहां उचित अधिकारी शुल्क लगाने (सीमा शुल्क दस्तावेज) विनियम, 1970 के तहत निर्धारित शुल्क के भुगतान पर जोर दिए बिना ऐसे संशोधन या रद्द करने की अनुमति दे सकता है।

यह सुविधा उड़ानों के रद्द होने या उनके संचालन न होने, जहाजों की वापसी या पुनर्निर्धारण, वाहकों द्वारा माल सेवाओं में व्यवधान, बंदरगाहों या हवाई अड्डों पर परिचालन संबंधी समस्याओं, या निर्यातकों के नियंत्रण से परे अन्य तुलनीय परिस्थितियों जैसी स्थितियों में लागू हो सकती है।

निर्यातकों या अधिकृत सीमा शुल्क दलालों को संबंधित क्षेत्राधिकार के उप/सहायक सीमा शुल्क आयुक्त को अनुरोध प्रस्तुत करने होंगे, साथ ही सहायक दस्तावेजी साक्ष्य जैसे कि शिपिंग लाइनों/एयरलाइंस से प्राप्त संचार, बंदरगाह या हवाई अड्डे के नोटिस, या अन्य प्रासंगिक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे पूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन के लिए नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से परिपत्र देखें।

[https://membership.plasticsepc.org/mails\\_images/20260311064032.pdf](https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260311064032.pdf)

उपरोक्त छूट **परिपत्र जारी होने की तारीख से 15 दिनों तक लागू** रहेगी , जब तक कि अधिकारियों द्वारा इसे आगे नहीं बढ़ाया जाता।

नमस्कार,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल